राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2014/31745 जयपुर, दिनांक 27/12/2019

कार्यालय आदेश.....23..../2019

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 63 से 73 के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र के वाहन फिटनेस जांच केन्द्रों के विनियमन एवं नियंत्रण करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु वाहन फिटनेस जांच केन्द्र विनियमन स्कीम ''फिजा 2018'' कार्यालय आदेश संख्या 13/2018 दिनांक 24.04.2018 द्वारा लागू की गई थी। इस आदेश के पश्चात् कतिपय जिलो में निजी फिटनेस सेन्टर की संख्या फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त नहीं होने के कारण फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 6(xix) में आंशिक संशोधन कर कार्यालय आदेश 19/2019 दिनांक 08.11.2019 जारी किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा D.B. SPL APPL 1395/2019 में दिनांक 02.12.2019 को दिए गए आदेश की पालना में कार्यालय आदेश 19/2019 दिनांक 08.11.2019 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (withdraw) किया जाता है। जिन राजस्व जिलो में ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर स्थापित हो चुके है उन परिवहन कार्यालय से संबंधित परिवहन यान केवल जिले में स्थित निजी फिटनेस निरीक्षण केन्द्र से या राज्य के अन्य जिलों में स्थापित किसी अधिकृत फिटनेस निरीक्षण केन्द्र से ही फिटनेस नवीनीकरण करवा सकते है। संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय जिनके राजस्व जिले में फिटनेस सेंटर स्थापित हो चुके है उन कार्यालयों में फिटनेस नवीनीकरण के आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : प7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2014/31746-52 जयपुर, दिनांक 27/12/2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

27/12/19
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner